संख्या- 22 /2026/226/2026-27-2002-309-2025 -2

प्रेषक,

सिद्धा शरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक:: 16 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025 -26 में नाबार्ड पोषित मद के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर-खीरी के अन्तर्गत घाघरा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम कुंजापुरवा एवं मूलचंदपुरवा के निकट कटाव निरोधक कार्य के अपस्ट्रीम में रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, अनु0 एवं नियो0 (बाढ़) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-120/काप्रअ/अनिबामं /यू-10/बी-1प्र0, दिनांक 27-01-2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं सूचना के आधार पर निम्न तालिका-अ में अंकित परियोजनाओं से हो रही बचत कुल रू0 50.03 लाख (चालू श्रेणी) में से तालिका -ब में अंकित निम्नलिखित विवरण की एक अदद् चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 37,79,000.00 (रूपये सैंतीस लाख उनासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-अ बचत से उपलब्ध धनराशि का विवरण

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्थाई संचालन समिति का संदर्भ	परियोजना की लागत	31.03.2025 तक नेट आवंटन/व्यय	आय-व्ययक अनुमान 2025-26	वर्ष 2025-26 में बजट के सापेक्ष आवंटन	वित्तीय वर्ष 2025-26 में परि0 को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि	बचत/ अर्न्तविनियोजन के माध्यम से अन्य परियोजना पर प्रस्तावित धनराशि	बजट व्यवस्था के सापेक्ष बचत (6-7-8-9)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94-4711-03-103-07-24 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)										
1	जनपद सीतापुर में तहसील लहरपुर केअन्तर्गत शारदा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम देवपालपुर, मौर्यनपुरवा, लोनियनपुरवा व अन्यकी शारदा नदी के कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	59वींबैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-235	293.04	0.50	176.00	151.68	0.00	0.00	24.32	परियोजनायें भौतिक एवं वित्तीय रूप से पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में परियोजना पर अवशेष बजट की आवश्यकता नही है। अतः कालम-10 की धनराशि बचत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	जनपद शाहजहाँपुर के अंतर्गत गर्रा नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम बरहा मोहब्बतपुर, मोहनापुर व इश्वरा आदि ग्राम समूह की बाढ़ सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	59 वींबैठक दिनांकः 07.01.2025 के क्रम सं0-231	313.08	0.50	188.00	162.29	0.00	0.00	25.71	स्वरूप परिलक्षित है।
	योग-		606.12	1.00	364.00	313.97	0.00	0.00	50.03	

तालिका-ब बचत/अर्न्तविनियोजन के माध्यम से प्रस्तावित की जाने वाली धनराशि

संगठन /मण्डल / खण्ड		मु0 अभि0 (शारदा) बरेली/बाढ मण्डल लखीमपुर-खीरी/बाढ खण्ड, शारदानगर, लखीमपुर-खीरी।									
(धनराशि लाख रू0 में)											
क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुदान सं0 / लेखार्शीषक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रविधानित बजट	शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शासनादेश सं0 तथा दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की लागत (a) / गठित अनुबन्ध की लागत (b)	अनुबन्धित लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत	गठित अनुबन्ध/ पुनरीक्षित लागत के आधार पर बचत {6(a)-7}	अब तक क्रमिक आवंटन(a) / क्रमिक व्यय (b)	परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष) (7-9) (b)	वित्तीय वर्ष 2025-26 में	
										अनुदान सं0/ लेखार्शीषक	अवमुक्त की जाने वाली स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मद सं0-94-4711-03-103-07-24 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)											
1	जनपद लखीमपुर - खीरी के अन्तर्गत घाघरा नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम कुंजापुरवा एवं मूलचंदपुरवा के निकट कटाव निरोधक कार्य के उपस्ट्रीम में रिवर ट्रेनिंग कार्य की परियोजना। (Latitude:-$27^0$53'29"N, Longitude:-$81^0$14'19"E,)	94-4711-03-103-07-24 जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)	122.00	55/2025/224/2025/27-2002/3/2025-2, दिनांक 19.03.2025 एवं 377/2025/1346/2025/27-2002/ 309/ 2025-2,दिनांक 15.07.2025	203.36/ 139.82	168.29	35.07	193.18/ 130.50*	37.79	94-4711-03-103-07-24	37.79

(रूपये सैंतीस लाख उनासी हजार मात्र)

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों।

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में निम्नांकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

(1) तालिका-ब में अंकित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या /231-2025-दस/352-1-बी/2025/6-2025, दिनांक 27 मार्च,2025 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद से अन्तर्विनियोजन कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रमुख अभियन्ता एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि जिस मद में अन्तर्विनियोजन प्रस्तावित किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-जल निकास-103-सिविल निर्माण कार्य-07-जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 37,79,000.00 (रूपये सैंतीस लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-94 लेखा शीर्षक 4711031030700 जलनिकास योजना (नाबार्ड पोषित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
(7) उप-महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 11 विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता, अनु0 एवं नियो0, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(9) मुख्य अभियंता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(10) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।
(11) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
(12) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ।
(13) वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-8
(14) सिंचाई अनुभाग-9/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सिद्धा शरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।